


संख्या 110 को खसरा संख्या 413नि० रकबा 0.1350 है०, लगानी 8.80/- र० रकून बना है, जो पुरानी आबादी है, जिराती मुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध स्थलीय फोटोप्लान से होता है। भूमि खसरा भूमि कृषि जमीन में प्रयोग नहीं की जा रही है। अतः यदि भविष्य में उपर्युक्त भूमि पर खसरा-किराया होता है, तो उपर्युक्त भूमि को आकृषिक घोषित न करने पर राज्य सरकार को स्वल्प राशय ही मिलेगी। तद्विहित आख्या में उपर्युक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जाने की अनुमति की गयी है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सहरीत आख्या दिनांक 04-06-2013 स्वीकार किया जाने योग्य है।

आदेश :-

अतः उपरोक्त विवेचना के अन्तर्गत पर ग्राम सालारपुर जलानपुर स्थित भूमि खाता संख्या 00020 के खसरा संख्या 401/1नि० रकबा 0.2480 है०, खसरा संख्या 405नि० रकबा 0.2265 है०, खसरा संख्या 522 रकबा 0.0380 है०, खसरा संख्या 524 रकबा 0.0890 है०, खसरा संख्या 526 रकबा 0.1010 है०, खसरा संख्या 527 रकबा 0.1010 है०, खसरा संख्या 528 रकबा 0.2280 है०, खसरा संख्या 529 रकबा 0.2400 है०, खसरा संख्या 525 रकबा 0.0890 है०, खसरा संख्या 385/1 रकबा 0.0390 है०, खसरा संख्या 409/1 रकबा 0.0240 है०, खसरा संख्या 411नि० रकबा 0.0530 है०, खसरा संख्या 383/1 रकबा 0.0780 है०, कुल मन्बरान 13, कुल रकबा 1.5580 है०, लगानी 75.85/- र० एवं खाता संख्या 00115 के खसरा संख्या 413नि० रकबा 0.1350 है०, लगानी 8.80/- र० को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा परत सगान माफ किया जाता है। तद्विहित आख्या दिनांक 04-06-2013 एवं नक्शा-निचम 135 आदेश को अंग रहेंगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर सार्वजनिक संस्थाओं तथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई हार्ड/प्रतिबन्ध निर्मित भूमि पर लगाए जाते हैं, जो दून पर पूर्णतः लागू होने तक उपर्युक्त आदेश मेरठ विकास प्राधिकरण की महसुसना 2021 को अतिरिक्त (Supersede) नहीं करेगा। यदि मेरठ विकास प्राधिकरण की महसुसना 2021 के विपरीत परिस्थिति पर कोई कार्य किया जाता है, तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। आदेश की प्रति आमर मिलानिवासी (डि०/ख०) मेरठ एवं उपनिबंधक, मेरठ को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाए, तदनुसार परधान अगलदशमद जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही वाचितल उपर्युक्त हो।


दिनांक :- 21-06-2013


 (अपविन्द कुमार मिश्र)
 उप जिलाधिकारी,
 मेरठ।



आज यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कार खुले न्यायालय में उपस्थित किया गया।


दिनांक :- 21-06-2013


 (अपविन्द कुमार मिश्र)
 उप जिलाधिकारी,
 मेरठ।

अन्तर्गत खसरा भूमि ... 12-50
 सर्वेक्षण प्रार्थना पत्र ... 21/3/13
 निश्चि तोटिस ... 21/3/13
 तद्वि कारी करने की ... 21/3/13
 अन्तर्गत / उपर्युक्त प्रस्तावना

सत्य प्रतिलिपि

 प्रेक्षक/अहलमद
 न्यायालय उप जिलाधिकारी
 मेरठ।



न्यायालय उप जिलाधिकारी, मेरठ।

वार सख्या 195/2013
 हरीशचन्द्र मैना देवी मेमोरियल ट्रस्ट
 सोसायटी द्वारा सेकेंद्री सीमांत जैम
 आदि

घारा 143 जैम 20/08/13 एक्ट एल0आर0 एक्ट
 बयान सख्तार

ग्राम सत्तारपुर जत्तलपुर परगना तहसील व जिला मेरठ।

सत्य प्रतिलिपि-निर्णय - 80- 2/8/13

हरीशचन्द्र मैना देवी मेमोरियल ट्रस्ट सोसायटी 49 साकेत मेरठ द्वारा द्वारा सेकेंद्री सीमांत जैम पुत्र श्री मोहित जैन, पिंकी उर्ल अनिल कुमार, टीटू पुत्रगण संतोष, सुभाषचन्द्र पुत्र श्री महेंद्र, योगेन्द्र सिंह पुत्रगण करतार सिंह, भागचन्द्र पुत्र जूगर तिलासीगण ग्राम सत्तारपुर परगना तहसील व जिला मेरठ ने घारा 143 एल0आर0 एक्ट एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र मध्य सख्तार-पत्र इन आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण/संस्था के नाम ग्राम सत्तारपुर जत्तलपुर स्थित भूमि खता संख्या 322 के खसरा संख्या 401/2 रकबा 0.0140 है0 खसरा संख्या 402/1 रकबा 0.0170 है0 खसरा संख्या 408/1 संख्या 0.3780 है0 खसरा संख्या 405/2 रकबा 0.1280 है0 खसरा संख्या 408/2 रकबा 0.3160 है0 खसरा संख्या 509/3 रकबा 0.0530 है0 खसरा संख्या 414 संख्या 0.0780 है0 खसरा संख्या 530/1 रकबा 0.1330 है0 खसरा संख्या 531 रकबा 0.0130 है0 खसरा संख्या 554/3 रकबा 0.1830 है0 व खता संख्या 321 के खसरा संख्या 406/3 संख्या 0.0340 है0 खसरा संख्या 412 संख्या 0.1170 है0 खसरा संख्या 416 संख्या 0.1010 है0 खसरा संख्या 517/1 रकबा 0.1520 है0 खसरा संख्या 521/2 रकबा 0.1520 है0 व खसरा संख्या 523/1 रकबा 0.1640 है0 पर बतौर सार्वजनिक भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि में मौके पर 20-25 वर्ष पुराना स्वल्प बना हुआ है। भूमि में मौके पर कुकुटपालन मत्स्यपालन, पशुपालन व कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं हो रहा है। प्रार्थीगण/संस्था ने उक्त भूमि को घारा 143 एल0आर0 एक्ट एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अकुचित घोषित किया जाने का अनुरोध किया है। प्रार्थीगण/संस्था की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में ग्राम सत्तारपुर जत्तलपुर परगना तहसील व जिला मेरठ की तद्वरग खासगी फसली दर्ज 1417 - 1422 फसली नामा संख्या संख्या 00322- 00321, 00323 एवं स्थलीय फोटोग्राफ दायित्व किये गए हैं।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर तहसील मेरठ से आख्या प्राप्त की गई, जो पत्रावली पर सत्यता है। तहसीलदार मेरठ द्वारा दिनांक 04-05-2013 को एल0आर0 एक्ट एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की घारा 143 व नियम 135 के अन्तर्गत आख्या प्रस्तुत की गयी। आख्या में उल्लिखित किया गया है कि ग्राम सत्तारपुर जत्तलपुर स्थित भूमि खसरा संख्या 406/3 संख्या 0.0340 है0 खसरा संख्या 412 संख्या 0.1170 है0 खसरा संख्या 416 संख्या 0.1010 है0 खसरा संख्या 517/1 रकबा 0.1520 है0 खसरा संख्या 521/2 रकबा 0.1520 है0 खसरा संख्या 523/1 रकबा 0.1640 है0 खसरा संख्या 408/1 संख्या 0.3790 है0 खसरा संख्या 401/2 रकबा 0.0140 है0 खसरा संख्या 402/1 रकबा 0.0170 है0 खसरा संख्या 405/2 रकबा 0.1280 है0 खसरा संख्या 408/2 रकबा 0.3160 है0 खसरा संख्या 409/3 रकबा 0.0530 है0 खसरा संख्या 414 संख्या 0.0780 है0 खसरा संख्या 530/1 रकबा 0.1330 है0 खसरा संख्या 531 रकबा 0.0130 है0 खसरा संख्या 554/3 रकबा 0.1830 है0, लगानी 80.80/- रू0 पर हरीशचन्द्र मैना देवी मेमोरियल ट्रस्ट सोसायटी 49 साकेत मेरठ द्वारा द्वारा सीमांत जैम सेकेंद्री, पिंकी उर्ल अनिल कुमार, टीटू पुत्रगण संतोष, सुभाषचन्द्र पुत्र श्री महेंद्र सिंह, योगेन्द्र सिंह पुत्रगण करतार सिंह, भागचन्द्र पुत्र जूगर के नाम बतौर सार्वजनिक भूमिधर दर्ज है मौके पर कृषि अथवा कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं हो रहा है। तहसील आख्या में उक्त भूमि खसरा संख्या 517/1 संख्या 0.1520 है0 खसरा संख्या 521/2 संख्या 0.1520 है0 खसरा संख्या 523/1 संख्या 0.1640 है0 खसरा संख्या 401/2 रकबा 0.0140 है0 खसरा संख्या 402/1 रकबा 0.0170 है0 खसरा संख्या 405/2 रकबा 0.1280 है0 खसरा संख्या 408/2 रकबा 0.3160 है0 खसरा संख्या 409/3 रकबा 0.0530 है0 खसरा संख्या 414 संख्या 0.0780 है0 खसरा संख्या 530/1 रकबा 0.1330 है0 खसरा संख्या 531 रकबा 0.0130 है0 खसरा संख्या 554/3 रकबा 0.1830 है0, लगानी 80.80/- रू0 को घारा 143 एल0आर0 एक्ट एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत अकुचित घोषित किये जाने हेतु आख्या पेशित की गयी

उक्त भूमि को अकुचित घोषित किये जाने के सम्बन्ध में मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ से आख्या प्राप्त हुई है। आख्या में उल्लिखित किया गया, जिस पर मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की ओर कोई आपत्ति दायित्व नहीं की गयी। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मानचित्र की छायाप्रति से स्पष्ट है कि धरनात भूमि का मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ से मानचित्र स्वीकृत करा रखा है।



Handwritten signature or initials.

मीने पत्रावली का अवलोकन किया। उपर्युक्त वर्णित भूमि खाता संख्या 00321 व 00322 हरीशचन्द्र मेवा देवी मेमोरियल ट्रस्ट सोसायटी 49 भाकॉल मेरठ द्वारा सीमांत जैन वीकेंड्री प्लॉट वर्क अनिल कुमार, टीकू पुत्रगण संतोष, सुभाषचन्द्र पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, योगेन्द्र सिंह पुत्रगण कलठार सिंह, रामचन्द्र पुत्र सुगर निकासीगण ग्राम रजपुरा परगना तहसील व जिला मेरठ का नाम-वर्ती सहसकारणीय भूमिपर पर्ज है। तहसील आख्या दिनांक 04-05-2013 तथा नक्शा नियम 139 309030मि० एवं भूमि व्यवस्था नियमावली से स्पष्ट है कि खाता संख्या 321 के खसरा संख्या 406/3मि० रकबा 0.0340 है०, खसरा संख्या 412मि० रकबा 0.1170 है०, खसरा संख्या 416मि० रकबा 0.1010 है०, खसरा संख्या 517/1 रकबा 0.1520 है०, खसरा संख्या 521/2 रकबा 0.1520 है० व खसरा संख्या 523/1 रकबा 0.1640 है० कुल नम्बरान 6 कुल रकबा 0.7200 है०, लगानी 35.10/- रु० एवं खाता संख्या 00322 के खसरा संख्या 401/2 रकबा 0.0140 है०, खसरा संख्या 402/1 रकबा 0.0170 है०, खसरा संख्या 405/2 रकबा 0.1280 है०, खसरा संख्या 408/2 रकबा 0.3160 है०, खसरा संख्या 409/3 रकबा 0.0530 है०, खसरा संख्या 414मि० रकबा 0.0760 है०, खसरा संख्या 530/1 रकबा 0.1330 है०, खसरा संख्या 531 रकबा 0.0130 है० व खसरा संख्या 554/3 रकबा 0.1830 है०, कुल नम्बरान 9 कुल रकबा 0.9310 है०, मालियत 45.50/- रु० में ट्रांसलेम स्कूल बना है, जो पुरानी आबादी है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध स्थलीय फोटोग्राफ से होती है। चूंकि उक्त भूमि कृषि कार्य में प्रयोग नहीं की जा रही है। अतः यदि भविष्य में प्रसंगत भूमि का क्रय-विक्रय होता है, तो प्रसंगत भूमि को अकृषिक घोषित न करने पर राज्य सरकार को स्वागत राजस्व की तानि होगी। तहसील आख्या में प्रसंगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखा के आधार पर तहसील आख्या दिनांक 04-05-2013 स्वीकार किये जाने योग्य है।

= आदेश =

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम सोलारपुर जलालपुर परगना तहसील व जिला मेरठ स्थित भूमि खाता संख्या 00321 के खसरा संख्या 406/3मि० रकबा 0.0340 है०, खसरा संख्या 412मि० रकबा 0.1170 है०, खसरा संख्या 416मि० रकबा 0.1010 है०, खसरा संख्या 517/1 रकबा 0.1520 है०, खसरा संख्या 521/2 रकबा 0.1520 है० व खसरा संख्या 523/1 रकबा 0.1640 है० कुल नम्बरान 6 कुल रकबा 0.7200 है०, लगानी 35.10/- रु० एवं खाता संख्या 00322 के खसरा संख्या 401/2 रकबा 0.0140 है०, खसरा संख्या 402/1 रकबा 0.0170 है०, खसरा संख्या 405/2 रकबा 0.1280 है०, खसरा संख्या 408/2 रकबा 0.3160 है०, खसरा संख्या 409/3 रकबा 0.0530 है०, खसरा संख्या 414मि० रकबा 0.0760 है०, खसरा संख्या 530/1 रकबा 0.1330 है०, खसरा संख्या 531 रकबा 0.0130 है० व खसरा संख्या 554/3 रकबा 0.1830 है०, कुल नम्बरान 9, कुल रकबा 0.9310 है० मालियत 45.50/- रु० को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा परतलू लगान भाफ किया जाता है। तहसील आख्या दिनांक 04-05-2013 एवं नक्शा-नियम 139 आदेश का अंग रहने। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर शासकीय संस्थाओं तथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई शर्त/प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाए जाते हैं, जो इस पर पूर्णतः लागू होंगे तथा उक्त आदेश मेरठ विकास प्राधिकरण की महासोचना 2021 को अतिक्रमित (Supersede) नहीं करेगा। यदि मेरठ विकास प्राधिकरण की महासोचना 2021 के विपरीत यदि स्थल पर कोई कार्य किया जाता है, तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। आदेश की प्रति अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) मेरठ एवं उपनिबंधक, मेरठ को सूचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए, तदनुसार परधाना अमलवसामद जारी हो। पत्रावली ग्राम आदेश कार्यवाही दाखिल दफतर हो।



दिनांक - 21-06-2013

(Signature)
21/6/13
(अरविन्द कुमार मिश्र)
उप जिलाधिकारी,
मेरठ।

आज यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक - 21-06-2013

सत्य प्रतिलिपि
(Signature)
पेशकार/अहलमद
न्यायालय उप जिलाधिकारी
मेरठ।

(Signature)
21/6/13
(अरविन्द कुमार मिश्र)
उप जिलाधिकारी,
मेरठ।